न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 50/2022–23

–:आदेश:–

17.1.23 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, कलियासोल से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, कलियासोल के पत्रांक– 436, दिनांक– 14. 12.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. आनन्द मल्लिक, 2. बिनोद मल्लिक, 3. सुधीर मल्लिक, तीनो के पिता– स्व0 सहदेव मल्लिक, साकिम– छोटा आम्बोना, पो0– आम्बोना, थाना– निरसा, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– छोटाआम्बोना, मौजा नं0– 171, साबिक खाता नं0– 50, साबिक प्लॉट नं0– 70, हाल खाता सं0–212, हाल प्लॉट सं0– 86, रकवा– 20 डिसमील भूमि क्रेता ओकेश कुमार महतो, पिता– दहिपाल महतो, साकिम– केन्दुआडी बस्ती, पो0– जीतपुर, थाना– पुटकी, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता जाति के कुरमी एवं विक्रेता जाति के मोलिक है तथा क्रेता थाना– केन्दुआडीह एवं विक्रेता थाना– निरसा, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 28.50 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,
17/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

17/01/23
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 12:04:11 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner